न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2019/00098 (98/2019) 225 आरटीएक्ट

1. मनजीतकौर पत्नी बलविन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. गगनदीप सिह पुत्र स्व0 श्री जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानग।
3. गुरविन्द्र कौर पत्नी स्व0 जगसीर सिह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. जलौर सिंह पुत्र गुरदास सिंह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. राजेन्द्र सिह पुत्र गुरदास सिंह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
6. सुखमिन्द्र सिह पुत्र गुरदास सिह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
7. जसविन्द्र सिह पुत्र हरचन्द सिंह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
8. कुलदीप सिंह पुत्र गुरदेव सिह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
9. जगमीत सिह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
10. अमरजीत सिंह पुत्र गुरदेव सिह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
11. जसपाल कौर पत्नी कौर सिंह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
12. इन्द्रपाल सिह पुत्र कौर सिंह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
13. गुरप्रीत सिह पुत्र कौर सिंह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

14. किरणदीप कौर पुत्री कौर सिंह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
15. दर्शन सिह पुत्र गुरदयाल सिह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

—अपीलाण्ट

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

—रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.2.2018 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी प्रकरण संख्या 53/2017 बअनवानी गगनदीप सिंह आदि बनाम तहसीलदार

श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री खुशकरण सिंह खोसा अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांकः—28.02.2020

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण ने एक प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आरटीक्ट एवं सपठित धारा 8 (2) राज. कोलो. प्रस्तुत किया। प्रार्थना—पत्र में चक 13 जी.जी.आर. खाता संख्या 67/31 का प0 नं0 187/282 मु0 नं0 68 किला नं. 1 ता 5 प्रत्येक में .025 है., प0 नं0 188/282 मु. नं. 69 कि. नं. 1 ता 5 प्रत्येक में 0.025 है. गुर मुमकिन रास्ता मन्जूरशुदा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त रास्ता की भूमि का प्रयोग बतौर रास्ता के उपयोग नहीं हो रहा है और अनुपयोगी व असुविधाजनक रास्ता है जो कि मौके पर बन्द है। प्रार्थीगण ने इस रास्ते की आवश्यकता नहीं हेाने के कारण इस रास्ता को निरस्त करते हुए चक 13 जीजीआर प0 नं0 189/282 मु0 नं0 61 के किला नं. 1, 10, 11 में एवं प0 नं0 188/281 मु0 नं0 62 कि0 नं0 16, 25/2 व प0 नं0 188/282 मु0 नं0 69 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में दो —दो बिस्वा पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण रास्ता मन्जूर किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अपीलाण्ट का प्रार्थना—पत्र स्वीकार करते हुए वांछित रास्ता स्वीकार किया तथा पूर्व में राजस्व रिकार्ड में अंकित रास्ते को निरस्त करते हुए रास्ते की भूमि को रकबा राज घोषित किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की धारा 251 (क) आरटीए के अन्तर्गत शर्त संख्या 8 राजस्थान उपनिवेशन शर्तों के तहत 1955 के प्रावधानों के खिलाफवर्जी करते हुए रास्ते की भूमि को रकबा राज घोषित किया है। ऐसा आचरण करने का विचारण न्यायालय को कोई अधिकार नहीं था व विचारण न्यायालय ने अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग किया है। गैर मुमकिन रास्ता की भूमि खातेदारों की काबिल काश्त भूमि का ही एक भाग होता है। रास्ता को निरस्त किये जाने की स्थिति में उसे गैर मुमकिन में उन्हीं खातेदारों की मुमकिन काबिल काश्त भूमि में तब्दील किया जाना चाहिए जो नहीं किया गया हैं। ऐसा निर्णय अविधिक है। रास्ता निरस्ती के साथ रास्ता की भूमि को रकबाराज घोषित किए जाने के आदेश के भाग का ज्ञान पूर्व में स्वतः नहीं हुआ न ही इसके बारे में अधिवक्ता ने सूचना दी। अब पटवारी हल्का के माध्यम से दिनांक 18.04.2019 को सर्वप्रथम ज्ञात हुआ कि रास्ता की भूमि का नामान्तरण कर दिया गया है। इस पर अपीलार्थीगण ने बिना कोई विलम्ब किए रकबा राज के नामान्तरण वाली जमाबंदियों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की। अपीलार्थीगण ने बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के यह अपील प्रस्तुत कर रहे हैं जो ज्ञान से अन्दर मियाद है। देरी माफी के लिए प्रथक से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत रकबा राज घोषित करने वाले भाग अंश को निरस्त फरमाया जावे व रास्ते की भूमि की अपीलार्थीगण के काबिल काश्त मुमकिन खातेदारी भूमि दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।
4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।
7. अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में चक 13 जी.जी.आर खाता संख्या 67/31 का प0 नं0 187/282 मु0 नं0 68 किला नं. 1 ता 5 प्रत्येक में .025 है., प0 नं0 188/282 मु. नं. 69 कि. नं. 1 ता 5 प्रत्येक में 0.025 है. गुर मुमकिन रास्ता जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज था उक्त रास्ता भूमि का प्रयोग बतौर रास्ता के उपयोग नहीं होने और अनुपयोगी व असुविधाजनक रास्ता होने और मौके पर बन्द होने का कथन करते हुए इस रास्ते की आवश्यकता नहीं हेाने का कथन करते हुए इस रास्ते को

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निरस्त करने का कथन किया था और उसके स्थान पर चक 13 जीजीआर प0 नं0 189/281 मु0 नं0 61 के किला नं. 1, 10, 11 में एवं प0 नं0 188/281 मु0 नं0 62 कि0 नं0 16, 25/2 व प0 नं0 188/282 मु0 नं0 69 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में दो –दो बिस्वा पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण रास्ता मन्जूर किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने का अनुतोष मांगा था। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए पूर्व में राजस्व रिकार्ड में अंकित रास्ते को निरस्त किया और रास्ते की भूमि को रकबाराज घोषित करने का आदेश पारित किया है। हमारे मतानुसार खाते में अंकित गैर मुमकिन रास्ता की भूमि खातेदारों की काबिल काश्त भूमि का ही एक भाग होता है। रास्ता को निरस्त किये जाने की स्थिति में इसे गैर मुमकिन कृषि भूमि में उन्हीं खातेदारों की मुमकिन काबिल काश्त भूमि में तब्दील किया जाना अपेक्षित था जो नहीं किया गया है। लिहाजा अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय में आंशिक संशोधन संशोधन किये जाने योग्य है कि रकबाराज घोषित करने का आदेश निरस्त करते हुए प्रश्नगत आराजी को अपीलाण्ट के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.02.2017 में चक 13 जीजीआर के प. नं. 187/282 मु. नं. 68 कि. नं. 1 ता 5 प्रत्येक में .025 है. प. नं. 188/282 मु. नं. 69 किला नं. 1 ता 5 प्रत्येक में 0. 025 है. गैर मुमकिन रास्ता मंजूरशुदा है तथा मौके पर बन्द है को आराजी राज दर्ज किये जाने का आदेश निरस्त किया जाता है तथा इस भूमि को अपीलार्थीगण के नाम काबिल काश्त मुमकिन खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का शेष अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(आशाराम डूडीआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.04.20 12:08:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: